संख्या–1318/35–4–2014

प्रेषक,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0,लखनऊ।

लखनऊः दिनांक 28 अक्टूबर,2014

नियोजन अनुभाग–4

विषयः–वर्ष 2014–15 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद आगरा में शासनादेश संख्याः 770/35–4–2013 दिनॉक 27 अगस्त,2013 के द्वारा 02 कार्यों की रू0 361.53 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू0 180.76 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। जिलाधिकारी के पत्र संख्याः 658/त्व0आ0वि0यो0/2013–14 दिनांक 27 सितम्बर, 2014 द्वारा उक्त कार्यों हेतु अवमुक्त धनराशि का शत प्रतिशत उपयोग होना इंगित किया गया है। अतः एतद्द्वारा निम्नांकित कार्यों के लिये उनके सामने अनुमोदित लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुये अवशेष देय धनराशि रू. 180.77 लाख (रूपये एक करोड़ अस्सी लाख सतहत्तर हजार मात्र) को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(लाख रू0 में)

	कार्य	अनुमोदित लागत	प्रथम किश्त की अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	शमशाबाद से चन्दौरा गढ़ी खण्डेराव थाना शंकरद्वारी मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य	202.50	101.25	101.25
2	ठेरई से इनायतपुर मार्ग तक का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	159.03	79.51	79.52
	योग	**361.53**	**180.76**	**180.77**

1– सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 27 अगस्त, 2013 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

2– प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही अवशेष धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर/पी.एल.ए. में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आहरित कर डिपाजिट कार्यो के रूप में कार्यदायी विभाग – द्वारा रेमिटेन्स लेखाशीर्ष "8782" के अन्तर्गत–सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कर, वित्त (लेखा) अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–2–47/दस– 97–10(9)/95, दिनांक 3 मार्च, 1997 में दिये गये निर्देशों के अनुसार डिपाजिट केडिट लिमिट (डी0सी0एल0) निर्गत करके व्यय की जायेगी।

3– इस शासनादेश से उक्त कार्य के लिये अनुमोदित लागत के सापेक्ष पूर्ण धनराशि का आवंटन हो जाता है। कार्य को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

4– स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2015 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च,2015 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा–जोखा 31 मार्च,2015 तक प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग–4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5– राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2015 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

6– कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा सम्परीक्षित लेखे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेंगें।

2– उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–40–आयोजनागत–लेखाशीर्षक–5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय –04–जिला तथा अन्य सड़कें–337–सड़क निर्माण कार्य–03–त्वरित आर्थिक विकास योजना–03–ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था–24–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–बी–1–2457/दस–2014–231 /2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

28/10/14

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव।

संख्या:1318 (1)/35–4–2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
2–महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3–प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्राम्य विकास/गन्ना विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/कृषि विपणन।
4–प्रमुख सचिव, वित्त।
5–निजी सचिव, मा.मुख्य मंत्री जी।
6–मण्डलायुक्त, आगरा।
7–जिलाधिकारी, आगरा।
8–मुख्य विकास अधिकारी, आगरा।
9–कोषाधिकारी, आगरा।
10–गार्ड फाईल
11–वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–5
12–राज्य योजना आयोग–1
13–जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, आगरा।

आज्ञा से,

28/10/14

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव।